

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत—उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

महावीर पिता लादू धाकड़ वगैरह

बनाम

श्रीमति कोयली धाकड़ वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 47/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
08/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम रजवास, प.ह. आमल्दा, आराजी सं. 694/2, 694/3, 695/2 रकबा, 696, 699/2, 699/3, 699/5, 719/698 कुल किता 08 रकबा 3.8880 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम रजवास, प.ह. आमल्दा, आराजी सं. 694/2, 694/3, 695/2 रकबा, 696, 699/2, 699/3, 699/5, 719/698 कुल किता 08 रकबा 3.8880 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरगढ़ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 28 / 5 / 2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/471/2024

दिनांक- 28-5-24

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 471/2024 अनवान महावीर .पिता लादू धाकड़ निवासी-रजवास
बनाम श्रीमति कोयेली पत्नी जीवण धाकड़ निवासी-रजवास, रतन पिता हजारी
धाकड़ निवासी-मण्डपीया, मांगीलाल पिता मोहनलाल सेन निवासी-रजवास की
पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम रजवास, प.ह.
आमल्दा, आराजी सं. 694/2, 694/3, 695/2 रकबा, 696, 699/2, 699/3, 699/5,
719/698 कुल कित्ता 08 रकबा 3.8880 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में
पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरगढ़ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100
रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं
किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर
उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश
करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा